संख्या-175/2017/3073/26-3-2017-4(154)/2005टी.सी.।

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10 नवम्बर 2017

विषयः-वर्ष 2017-18 हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष में संचालित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-234/21/ज.जा.वि.2017-18, दिनांक-27.10.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत योजना 'केन्द्रपुरोनिधानित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरी के संचालन' में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-250.00 लाख के सापेक्ष उक्त शिक्षण संस्थान हेतु निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि रूपया-220.31 लाख (रूपया दो करोड़ बीस लाख इक्कतीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपया-110.10 लाख (रूपया एक करोड़ दस लाख दस हजार मात्र) धनराशि को संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि 'उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं विकास समिति' के नाम लखनऊ के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खातें में जमा की जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-व्यय की गयी धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)- गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
कामता प्रसाद
उपसचिव

पृ.संख्या-175/2017/3073(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-175/2017/आर-3073/26-3-2017-4(154)/2005टी.सी.I, दिनांक- 10 नवम्बर 2017 का संलग्नक

एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरी के संचालन हेतु वर्ष 2017-18 की विभिन्न मदों में वित्तीय स्वीकृति का विवरण

(धनराशि रूपया लाख में)

क्र. से	मद का नाम	वर्ष (2016–17) का अवशेष बजट	2017–18 हेतु वांछित बजट	2016–17 के अवशेष बजट को घटाते हुये 2017–18 हेतु वांछित बजट	2017–18 हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1	वेतन	14.70	85.00	70.30	35.15
2	कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय	0.00	6.00	6.00	3.00
3	भोजन व्यवस्था पर व्यय (2250 प्रति छात्र प्रति माह की दर से 09 माह) रूपया–85.05 लाख+शीत अवकाश में कक्षा 10 व 12 की भोजन व्यवस्था पर व्यय (20 दिन हेतु) रूपया–1.80 लाख	0.00	86.85	86.85	43.42
4	पाठ्यपुस्तकें– 6 से 8 (400 रूपया प्रति छात्र) रूपया–0.72 लाख+ 09 से 10 (900 रूपया प्रति छात्र)रूपया–1.08 लाख+11 से 12 (1500 रूपयाप्रति छात्र)रूपया–1.80 लाख	0.00	3.60	3.60	1.80
5	यूनीफार्म पर व्यय (2500 रूपया प्रति छात्र)	0.00	10.50	10.50	5.25
6	दैनिक प्रयोगार्थ सामग्री (1000 रूपया प्रति छात्र)	0.00	4.20	4.20	2.10
7	अन्य विविध व्यय चिकित्सा व्यय (30 रूपया प्रति छात्र प्रति माह) रूपया–1.13 लाख +स्टेशनरी पर व्यय (100 रूपया प्रति छात्र प्रति माह) रूपया–4.20 लाख+स्कूल बैग (300 रूपया प्रति छात्र प्रति वर्ष कक्षा–06 व 09) रूपया–0.36 लाख+अंशकालिक चिकित्सा फीस (5000 रूपया प्रति माह)रूपया–0.45 लाख+सी0बी0एस0ई0बोर्ड फीस, रजि0 फीस रूपया–1.50 लाख+420 छात्रों हेतु यात्रा (20 प्रति छात्रप्रति माह)रूपया–0.75 लाख+छात्राओं की हाईजिनिक व्यवस्था (60 रूपया प्रति छात्र प्रति माह)रूपया–1.13 लाख	0.45	9.52	9.07	4.50
8	प्रयोगशाला हेतु उपकरण(विज्ञान तथा कम्प्यूटर)	0.00	2.29	2.29	1.14
9	बिस्तर की व्यवस्था (600 रूपया प्रति छात्र)	0.00	2.52	2.52	1.26
10	नवीन छात्रावास में छात्रों की बेड व्यवस्था हेतु	0.00	5.75	5.75	2.87
11	बर्तनों की व्यवस्था	0.00	0.40	0.40	0.20
12	किचन में गैस प्लान्ट की व्यवस्था	0.50	1.50	1.00	0.50
13	पुस्तकालय की व्यवस्था	0.00	1.00	1.00	0.50
14	जनरेटर की व्यवस्था	0.17	3.00	2.83	1.41

shiv finencial 2017-18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

15	बिजली उपकरण एवं बिजली बिलो के भुगतान का व्यय	0.00	11.00	11.00	5.50
16	अनुरक्षण (प्रशासनिक, छात्रावास, मेस एवं आवास पुताई, अन्य मरम्मत कार्य)	0.00	3.00	3.00	1.50
	योग	15.82	236.13	220.31	110.10

(रूपया एक करोड़ दस लाख दस हजार मात्र)

(कामता प्रसाद)
उपसचिव

shiv finencial 2017-18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।